आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

घर-घर औषधि योजना

क्रमांक:–एफ 15 ( ) 2021 / गोप्र / प्रमुवस / 6052 | c दिनांक 20.10.2022

आख्यात्मक आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर सिविल रिट पिटिशन संख्या 16255 / 2021 एवं 5540 / 2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.5.2022 को दिए गए निर्णय के अनुक्रम में वनपालों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में प्रमुख शासन सचिव (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) को आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) द्वारा आदेश क्रमांक 4668 / सी दिनांक 12.8.2022 से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में, वनपालों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में सुझाव देने हेतु, एक समिति का गठन किया गया। समिति ने एक सुस्पष्ट प्रक्रिया का पालन कर तथा संबंधितों को सुनकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए (संलग्नक–'अ')। समिति की सिफारिश पर गहन विचार कर तदनुसार वनपालों की वरिष्ठता का निर्धारण निम्न प्रक्रिया अनुसार किए जाने के आदेश प्रचलित किए जाते हैं:–

- वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2015 में प्रत्येक वन मण्डल / कार्यालय में चयनित कार्मिकों के प्राप्तांकों को वनमण्डल / कार्यालय अनुरूप ही स्केल (Scaling) करने के उपरांत समस्त वनमण्डलों / कार्यालयों के तदानुसार परिवर्तित अंकों (Scaled Marks) को एकीकृत रूप में अवरोही क्रम में (in descending orders) व्यवस्थित कर वनपालों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।
- वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2015 में चयनित वनपालों की परस्पर रूप में एकीकृत वरिष्ठता को, स्केल (Scaling) करने उपरांत तदानुसार परिवर्तित अंकों के आधार पर, तैयार करने की कार्यवाही हेतु निम्न सूत्र का उपयोग लिया जावेगा।

$$S = M + (X_i - X) \times \frac{\sigma}{\sigma_i}$$

Where,

S = Scaled Marks of a candidate

M = Overall mean (who appeared for interviews in all divisions/offices)

X_i = Raw Marks of candidate in a particular division/office

X = Mean marks of a particular division/office

σ = Standard Deviation of Combined score (who appeared for interviews)

σ_i = Standard Deviation in a particular division/office

• अनुकम्पा नियुक्ति/पदोन्नत वनपालों की वरिष्ठता निर्धारण निम्नानुसार की जावेगी–

अनुकम्पात्मक नियुक्ति

(1) नियुक्ति तिथि
(2) जन्म तिथि
(3) नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता
(4) नामाक्षर अंग्रेजी वर्णमालानुसार

पदोन्नत वनपाल

(1) पदोन्नति की प्रभावी तिथि
(2) सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति की प्रभावी तिथि
(3) जन्म तिथि
(4) विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि

एक ही चयन वर्ष में प्रतियोगी परीक्षा, अनुकम्पात्मक नियुक्ति एवं पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त वनपालों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान वन सेवा नियम 2015 के नियम 42 एवं इसके परन्तुकों में निहित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जावेगा।

(डॉ.दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान,जयपुर

(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
शासन सचिवालय,जयपुर